

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(99)एमई/ग्रुप-1/93

जयपुर, दिनांक: 28 AUG 2018

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य, एनाटोमी के पद पर पे-मेट्रिक्स में लेवल-16 (67300-195000) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 47,200/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03.07.2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट क्रमांक	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	डॉ. पंकज सैनी, 1/466, भूतल, मंगलम अपार्टमेंट, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल के पास चित्रकूट, वैशाली नगर जयपुर (राज.)- 302021	एम-01	24.09.1976	पिछड़ा वर्ग महिला	मेडिकल कॉलेज, अजमेर

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प08(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015 (7)वित्त/नियम/1997 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प06(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

यह नियुक्ति निम्न शर्त के अधधीन होगी -

"This appointment is subject to the decision of S.B.C.W. Petition No.

250/17."


क्रमशः-2

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छायाप्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गई है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा/अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।


आदेश से,



(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(17) भर्ती/गोपनीय/ 2014-15/148 दिनांक 19.07.2018 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव